न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2255–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–06–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक 760/अपील/2012–13.

मंगलसिंह गुर्जर पुत्र श्री रघुवरसिंह गुर्जर,
निवासी ग्राम दयेली परगना व
जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–कैलाश नारायण बघेल पुत्र श्री करनसिंह बघेल,
2–अंगद सिंह पुत्र श्री करनसिंह
3–गंगाराम पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद बघेल
4–बदनसिंह पुत्र श्री बद्री प्रसाद बघेल
निवासीगण ग्राम दयेली परगना व
जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

श्री विजय गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दयेली स्थित भूमि सर्वे कमांक 162 एवं 136/2 के अभिलेख एवं नक्शे में संशोधन की मॉग की गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 37/11–12/बी–121 दर्ज कर दिनांक 26–7–2012 को आदेश पारित किया जाकर अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन अनुसार संशोधन के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–6–2014 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे और अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा भी एकपक्षीय जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतः ऐसा आवेदन पत्र एवं प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, यहॉ तक कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा की गई जॉच में भी आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा नक्शे में संशोधन कर आवेदक की भूमि अनावेदक को दे दी गई है, जो कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा कब्जे के आधार पर नक्शा दुरूस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि नक्शे में संशोधन के फलस्वरूप अनावेदक को उसकी ही भूमि प्राप्त हुई है और आवेदक की भूमि अनावेदक की भूमि में नहीं दर्शाई गई है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर अधीक्षक भू–अभिलेख से प्रतिवेदन चाहा गया है है और अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा विस्तृत जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नक्शा दुरूस्ती की अनुशंसा की गई और कलेक्टर द्वारा उभयपक्ष को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अधीक्षक भू अभिलेख के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये नक्शे में संशोधन के आदेश दिये गये है, जो कि पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही है । यहॉ यह विचारणीय है कि नक्शे में संशोधन के फलस्वरूप आवेदक की भूमि के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात् आवेदक की भूमि का रकबा कम नहीं हुआ है । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में यह नहीं बताया जा सका है कि नक्शे में संशोधन से उसके हित किस प्रकार से प्रभावित हुये हैं । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–06–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर